



टीबोर्डभारत Tea Board India
14, बी.टी.एमसरनी (ब्रेबोर्नरोड) कोलकाता 700001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं.6(29)/LC/Gen/11-13/P-III/Vol.3/2017/13153

दिनांक 08.11.2021

सेवा में,
अखिल उत्पादक संघ
सर्व क्रेता संघ
दक्षिण भारत के सभी नीलामी आयोजक
सभी पंजीकृत नीलामीकर्ता

विषय:दक्षिण भारत के लिए लॉट की विभाज्यता पर अखिल भारतीय नीलामी नियमों में संशोधन

महोदय/महोदया,

यह टी बोर्ड द्वारा परिपत्र संदर्भ सं. 6(29)/एलसी/जनरल/2011-13/पी-1 दिनांक 06.05.2016 और बाद में दक्षिण भारत में नीलामी केंद्रों द्वारा पालन किए जाने वाले विभाज्यता मानदंडों के संबंध में बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश संदर्भ.संख्या कानून/डब्ल्यूपी/66/2016 दिनांक 02.08.2016 द्वारा अधिसूचित अखिल भारतीय नीलामी नियमों का संदर्भ ग्रहण करें।

इस संबंध में, मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि दक्षिण भारत के विभिन्न हितधारकों के साथ हुए विभिन्न विचार-विमर्शों एवं कुन्नूर चाय व्यापार संघ (सीटीटीए) से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, दक्षिण भारत हेतु लॉट के विभाजन से संबंधित अखिल भारतीय नीलामी नियमों का नियम संख्या 44 अब संलग्न अनुलग्नक के अनुसार संशोधित किया गया है। लॉट साइज का संशोधित डिवीजन नियम दक्षिण भारत के सभी नीलामी केंद्रों यानी कुन्नूर, कोयंबटूर, कोचीन और टीसर्व की बिक्री संख्या 49/2021 से लागू किया जाएगा।

कृपया इसे सभी सदस्यों के ध्यान में लाया जाए।

संगलग्न: यथाकथित

भवदीय,
ह/-
(रजनीगंधा सील नस्कर)
अनुज्ञापन नियंत्रक

प्रति:

1. कार्यापाल निदेशक, टी बोर्ड, कुन्नूर
2. मेर्सस एनएसआईटी लिमिटेड

ह/-
अनुज्ञापन नियंत्रक

अखिल भारतीय नीलामी नियम

नियम सं. 44 – लॉट का विभाजन (दक्षिण भारत हेतु)

लॉट के विभाजन हेतु वर्तमान नियम	लॉट के विभाजन हेतु संशोधित नियम
1. 9 बैग तक - 1 क्रेता	1. 14 बैग तक - 1 क्रेता
2. 10 से 14 बैग - 2 क्रेता	2. 15 से 19 बैग - 2 क्रेता
3. 15 बैग एवं अधिक - 3 क्रेता	3. 20 बैग एवं अधिक - 3 क्रेता